प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 17.09.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.07.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त श्रीनिवास उर्फ सीओ पुत्र परमाल सिंह निवासी ग्राम भौवापुर, थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा अपने खेत में तार बन्दी कर उसमें बिजली का करंट छोड़ देना व उसी खेत में वादी के बेटे उम्र करीब 10 वर्ष को पैसे का लालच देकर काम पर ले जाना जहां वादी के बेटे की बिजली का करंट लग जाने के कारण मृत्यु हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 106(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना/ साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग से धारा- 106(1) बीएनएस का लोप किया गया व धारा- 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त श्रीनिवास उर्फ सीओ पुत्र परमाल सिंह निवासी भौवापुर, थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 60 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने खेत में तार बन्दी कर उसमें बिजली का करंट छोड़ दिया था व उसी खेत में वादी के बेटे उम्र करीब 10 वर्ष को पैसे का लालच देकर काम पर ले गया था जहां वादी के बेटे की बिजली का करंट लग जाने के कारण मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

श्रीनिवास उर्फ सीओ पुत्र परमाल सिंह निवासी भौवापुर, थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 60 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मोटर साईकिल की लूट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी हुई एक मोटर साईकिल बरामद।

दिनांक 16.09.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटर साईकिल की लूट करने वाले अभियुक्तगण 1. कान्हा पुत्र हरकिशन निवासी ग्राम सिवाल तहसील गोवर्धन थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 20 वर्ष 2. गौरव पुत्र गिरधर निवासी ग्राम आरसी थाना नगर जिला डीग राजस्थान उम्र 19 वर्ष को मोरटी गांव की तरफ से थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक लूट की गयी मोटर साईकिल न0 रजि0नं0 - UP76AR0589 बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि खर्चा चलाने व नशा करने के लिए मोटर साईकिल चोरी/लूट कर लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. कान्हा पुत्र हरकिशन निवासी ग्राम सिवाल तहसील गोवर्धन थाना बरसाना जिला मथुरा उम्र करीब 20 वर्ष
2. गौरव पुत्र गिरधर निवासी ग्राम आरसी थाना नगर जिला डीग राजस्थान उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक मोटर साईकिल न0 UP76AR0589

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल अवैध 27 अल्प्राजोलम टैबलेट के पत्ते कुल 1340 टैबलेट बरामद।

दिनांक 17.09.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवेध नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला अभियुक्त राजा पुत्र शेरू निवासी ए-70 गली न0 2,30 फुटा रोड दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को हिण्डन मेट्रो स्टेशन से आगे मेरठ रोड से हिण्डन विहार 45 फुटा को जाने वाले रास्ते के पास नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 1340 अल्प्राजोलम टैबलेट्स बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना नन्दग्राम पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं मोहन नगर बस अड्डे से चोरी-छिपे अल्प्राजोलम की गोलियाँ लेकर आता हूँ तथा राह चलते लोगों को अधिक दामों पर बेच देता हूँ तथा जो रूपये मिलते है, उससे अपना गुजारा

करता हूँ। आज भी मै राह चलते लोगों को ये नशीली गोलियाँ बेचने के लिए जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

राजा पुत्र शेरू निवासी ए-70 गली न0 2,30 फुटा रोड दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

27 अल्प्राजोलम टैबलेट के पत्ते कुल 1340 टैबलेट बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त राजा के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर एनडीपीएस एक्ट का 04 अभियोग व 01 अभियोग गैंगस्टर संबंधी कुल 05 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

-::ऑटो में एक्स्ट्रा सीट लगाने व ओवरलोडिंग करने वालें चालकों के विरुद्ध 03 दिवसीय विशेष अभियान::-

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेशानुसार शहर में सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं यातायात** के निर्देशन में **पुलिस उपायुक्त यातायात एवं अपर पुलिस उपायुक्त यातायात** के पर्यवेक्षण में दिनांक **15** सितम्बर **2026** से **17** सितम्बर **2026** तक **03** दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान का प्राथमिक उद्देश्य ऑटो में अवैध रूप से अतिरिक्त सीटें लगाकर सवारी बैठाने तथा क्षमता से अधिक यात्री (ओवरलोडिंग) ले जाने वाले चालकों के वाहनों के चालान एवं सीज की कार्यवाही का किया जाना रहा है।

समस्त सब-जोन में सघन चेकिंग एवं पर्यवेक्षण

उपरोक्त के अनुपालन में अभियान के प्रथम दिन समस्त यातायात निरीक्षकों द्वारा अपनी-अपनी टीमों के साथ सब-जोन के प्रमुख चौराहों, बस स्टैंडों, मेट्रो स्टेशन एवं अत्यधिक भीड़भाड़ वाले मार्गों पर व्यापक रूप से वाहनों की सघन चेकिंग की गयी।

प्रमुख कार्यवाहियां:

- **अवैध एक्स्ट्रा सीट पर तत्काल कार्यवाही:** अभियान के दौरान चेकिंग करते हुए लगभग **1800** ऑटो चालकों द्वारा अवैध रूप से लगवाई गई अतिरिक्त सीटों को मौके पर ही उतरवाया गया। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल **1462 ऑटो के चालान व 26 ऑटो सीज किये गये किए गए** तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई गई।
- **अभियान के दौरान व्यापक जागरूकता:** चेकिंग के दौरान पुलिस टीमों द्वारा चालकों एवं यात्रियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। चालकों को हिदायत दी गई कि वे चालक सीट के बगल में किसी भी सवारी को न बैठाएं, तथा यात्रियों को समझाया गया कि वे अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत चालक के बगल में बैठकर यात्रा न करें।
- **दस्तावेजों एवं परमिट का भौतिक सत्यापन:** चेकिंग के दौरान वाहनों के वैध प्रपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं परमिट की जांच भी की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना वैध दस्तावेजों के संचालित पाए गए वाहनों को मौके पर ही सीज करने की कार्यवाही की गई।

अपील:-

गाजियाबाद यातायात पुलिस समस्त ऑटो चालकों से अपील करती है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन या एक्स्ट्रा सीट न लगवाएं और न ही क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर सड़क दुर्घटनाओं को न्योता दें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों चालकों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।

"आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प । आइए मिलकर गाज़ियाबाद के यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाएं।"

ट्रैफिक एडवाइजरी
(वसुंधरा चौराहा पुल के नीचे बैरिकेडिंग)

सर्वसाधारण एवं समस्त वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि वसुंधरा चौराहा स्थित पुल के नीचे सीधी आवाजाही के कारण लगातार भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी। वैशाली, मोहन नगर, सीआईएसएफ रोड एवं साहिबाबाद रेलवे स्टेशन—इन चारों दिशाओं से आने वाले वाहनों के चौराहे पर आमने-सामने आने (क्रॉस ट्रैफिक) से गाड़ियां आपस में फंस जाती थीं। इसके चलते पीक आवर्स में लंबा जाम लगता था और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। इस यातायात समस्या के स्थायी समाधान के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह नया रूट डायवर्जन प्रारंभ में एक सप्ताह के ट्रायल (परीक्षण) के तौर पर लागू किया गया था। ट्रायल अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था अत्यंत सुगम एवं सुरक्षित पाई गई, जिसे आम जनमानस और स्थानीय निवासियों द्वारा काफी सराहा गया। यातायात को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने हेतु इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है, जो निम्नवत् है:**-**

- **सीआईएसएफ (CISF) की ओर से आने वाले वाहन**: सीआईएसएफ रोड से साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहन चौराहे से सीधे न जाकर, निर्धारित यू-टर्न (**U-Turn**) का प्रयोग करके ही रेलवे स्टेशन की ओर जाएंगे।
- **साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाले वाहन**: साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ से सीआईएसएफ रोड की ओर जाने वाले वाहन भी चौराहे से सीधे न जाकर, निर्धारित यू-टर्न (**U-Turn**) का प्रयोग करके ही सीआईएसएफ की तरफ जाएंगे।
- **वैशाली की ओर से सीआईएसएफ (CISF) रोड जाने वाले वाहन**: वैशाली की तरफ से आकर सीआईएसएफ रोड की तरफ जाने वाले वाहन अब चौराहे से दाहिने न मुड कर चौराहे से आगे की ओर बढ़कर निर्धारित यू-टर्न (**U-Turn**) का प्रयोग करते हुए ही सीआईएसएफ रोड की दिशा में जाना होगा।
- **मोहन नगर की ओर से साहिबाबाद रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन**: मोहन नगर की तरफ से आकर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले वाहन अब चौराहे से दाहिने न मुड कर चौराहे से आगे की ओर बढ़कर निर्धारित यू-टर्न (**U-Turn**) लेते हुए ही साहिबाबाद की ओर जाना होगा।

अपील:-

यातायात पुलिस सभी सम्मानित वाहन चालकों से विनम्र अपील करता है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू, सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। कृपया किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें, यातायात नियमों का पालन करें और चौराहे पर सीधे जाने का प्रयास न करके केवल निर्धारित यू-टर्न (**U-Turn**) का ही उपयोग करें।